न्यायालय जिला कलक्टर (आर्बीट्रेटर) बून्दी

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.77 / प्रा0पत्र / 2023 (GCMS No. 2023 / 113)	26.06.2023	29.07.2024

1. कन्हैयालाल आ. रामदयाल जाति धाकड़, निवासी भवानीपुरा
2. कृष्णमुरारी आ. माधो जाति धाकड़, निवासी भवानीपुरा
3. जगन्नाथ आ. भोलू जाति धाकड़, निवासी भवानीपुरा
4. दीनबंधु आ. माधो जाति धाकड़, निवासी भवानीपुरा
5. दीपक आ. हनुमान जाति धाकड़, निवासी भवानीपुरा
6. मु0 रामचन्द्री पत्नी माधो जाति धाकड़, निवासी भवानीपुरा
7. रामकैलाश आ. माधो जाति धाकड़, निवासी भवानीपुरा
8. रामनाथ आ. घासी जाति धाकड़, निवासी भवानीपुरा
9. लटूरलाल आ. रामदयाल जाति धाकड़, निवासी भवानीपुरा

ग्राम गामछ, तहसील तालेडा, जिला बून्दी (राज.)

— प्रार्थीगण

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अति. कलक्टर (सीलिंग) बून्दी
2. उपखण्ड अधिकारी, तालेडा
3. तहसीलदार, तालेडा
4. सार्वजनिक निर्माण विभाग, नेशनल हाईवे ऑथोरिटी नोर्दन बाईपास ग्राम गामछ बल्लोप जर्ये अधीक्षण अभियंता, पी.डब्ल्यू.डी. सार्वजनिक निर्माण विभाग, नेशनल हाईवे बून्दी

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 (जी)(5) राष्ट्रीय उच्च मार्ग अधिनियम,1956

उपस्थित—

प्रार्थीगण की ओर से श्री संजय कुमार जैन, एडवोकेट।
अप्रार्थी सं. 1, 2, 3 की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी सं. 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

जिला कलक्टर; बून्दी

निर्णय

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) राष्ट्रीय उच्च मार्ग अधिनियम,1956 इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण भूधारक जिसकी खाता संख्या 465 की भूमि खसरा सं. 1028, 1029/1196, 1514/1029, 970 वाकेग्राम गामछ, तहसील तालेडा, जिला बून्दी में विस्थित है, उक्त भूमि के संबंध में नार्दन बाईपास फेज–II गामछ मेघा हाईवे (एस.एच. –33) सड़क निर्माण हेतु विपक्षीगण के द्वारा नेशनल हाईवे अधिनियम 1956 के अनुसरण में आम सूचना जारी कर अवार्ड जारी किया, लेकिन विपक्षीगण के द्वारा मौका स्थिति की जांच किये वगैर ही पंचाट जारी कर नेशनल हाईवे का निर्माण शुरू कर दिया गया, जो कि पूर्णतया गलत व अनुचित है। उक्त अवाप्त भूमि खसरा संख्या 1028 में गत 10 वर्षो से अधिक समय से बोरिंग लगा हुआ था जो कि मौके पर पूर्व में भी था तथा वर्तमान में भी है। इसके बावजूद मौका स्थिति का सही अवलोकन नहीं कर विपक्षीगण के द्वारा बोरिंग का मुआवजा निर्धारित नहीं कर अवार्ड पारित किया गया जो कि गलत है। इसलिए मौके की पुनः जांच की जाकर संशोधित मुआवजा का संशोधित अवार्ड जारी किया जाना अतिआवश्यक है। भूमि खसरा संख्या 1029/1195 रकबा 0.0081 हैक्टेयर गे0मु0चाह अर्थात कुये का नम्बर है जो कि सम्पूर्ण अधिग्रहित किया गया है जिस पर कुये के हिसाब से मुआवजा का निर्धारण होना चाहिये था जो नहीं किया गया, इसलिए मौके की पुनः जांच की जाकर कुये के अनुसार संशोधित मुआवजा राशि का अवार्ड जारी किया जावे। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण करते वक्त विपक्षीगण को मौका स्थिति जिसमें आबादी से निकटता, विद्यालय, बाजार आदि की पक्ति से निकटता आदि का निरीक्षण कर अवार्ड जारी करना होता है। उक्त प्रकरण में भी सम्पूर्ण खाता की भूमि आबादी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भवानीपुरा, देवनारायण मन्दिर एवं ग्राम गामछ व भवानीपुरा की आबादी के समीपस्थ होने के बावजूद आबादी एवं मुख्य सडक के निकटस्थ मुआवजा राशि की गणना नहीं की गई है, इसलिए विपक्षीगण के द्वारा मौके स्थिति का सही अवलोकन कर पुनः मौका जांच की जाकर संशोधित मुआवजा का अवार्ड जारी किया जाना अतिआवश्यक है। विपक्षीगण को उपरोक्त तथ्यों की जानकारी दे दिये जाने के बावजूद अवार्ड में संशोधन नहीं किया गया। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थ आवेदन यहां पेश किया जाकर निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर वर्तमान मौका स्थिति की रिपोर्ट ली जाकर इसके आधार पर अवाप्त शुदा भूमि के उचित मुआवजा बाबत संशोधित अवार्ड जारी करने का आदेश विपक्षीगण को दिये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर, बून्दी

प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर पंजिका क्रमांक 77/2023 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2023/113 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली प्राप्त हुई। अप्रार्थी सं.1 की ओर से दिनांक 21.07.23 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जाकर प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थीगण ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि प्रार्थीगण की अवाप्त की गई भूमि का मौके की जांच करवाये बिना ही मुआवजा राशि का निर्धारण कर दिया गया, जो गलत है। जबकि उक्त खातेदारी भूमि पर स्थित बोरिंग एवं कुआ का मुआवजा का निर्धारण नहीं किया गया है, साथ ही अवाप्तशुदा भूमि आबादी एवं सडक के समीपस्थ होने के बावजूद भी उचित दर से मुआवजे का निर्धारण नहीं किया गया, जिससे प्रार्थीगण को उचित मुआवजा नहीं मिला है। ऐसे में उक्त अवार्ड नियमानुसार नहीं होने से संशोधित किया जाना उचित है। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अवाप्तशुदा भूमि के मौके की जांच की जाकर पुनः पंचाट जारी कर प्रार्थीगण को उचित मुआवजा दिये जाने का आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि प्रार्थीगण ग्राम गामछ के खसरा सं. 1028 में बोरिंग होना बताया है तथा बोरिंग का मुआवजा भी निर्धारित नहीं करना बताया है। सडक निर्माण हेतु 3–ए की अधिसूचना जिला बून्दी के दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 07.07.2017 को प्रकाशित हुई थी,तब से प्रार्थीगणों ने अब तक उक्त बोरिंग के विषय में विभाग को क्यों नहीं अवगत करवाया। अब उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जाने के बाद केवल मात्र अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार खसरा सं. 1029/1195 रकबा 0.0081 हैक्टेयर गे0मु0चाह कुये का नम्बर का मुआवजा दिलाये जाने का प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है, जबकि उक्त खसरा नम्बर प्रार्थीगण के खाते में नहीं है, जो खसरा सं. 1029/1196 प्रार्थीगण के खाते में अंकित है वह अधिग्रहण ही नहीं हुआ है, जब भूमि अधिग्रहण में ही नहीं है तो मुआवजा भी देय नहीं है। अवाप्त भूमि का आबादी, विद्यालय, बाजार, देवनारायण मंदिर के समीपस्थ होने के बावजूद उक्तानुसार मुआवजा की गणना नहीं किये जाने की आपत्ति की गई, किन्तु जब भूमि अवाप्ति की जाती है तब की स्थिति के अनुसार उद्घोषणा होती है तथा अवाप्त भूमि के संबंध में आबादी, विद्यालय, बाजार, मंदिर आदि की निकटता का सत्यापन डी.एल.सी. के अनुसार किया जाता है और इस प्रकरण में भी मुआवजे का निर्धारण डी.एल.सी. दर के अनुसार गणना करके ही किया गया है, जो उचित है। पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर, बून्दी

अप्रार्थी सं. 4 की ओर से

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। प्रकरण में तलब की गई सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) बून्दी की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि उत्तरी कोटा बाईपास फेज–II के गामछ से बल्लोप सेक्शन के निर्माण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा 3(क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना दिनांक 22.11.2016 भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 में जारी की गई। जिसका स्थानीय दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 07.07.2017 को प्रकाशन किया जा चुका है। तदनुसार 3–जी अवार्ड राशि का निर्धारण खातेदारान के पक्ष में किया गया। इस प्रकरण में मुआवजा 3–जी अनुसार ग्राम गामछ, तहसील तालेडा में स्थित अवाप्तशुदा भूमि खसरा सं. 1028 एवं खसरा सं. 1514/1029 का जमाबंदी अनुसार सभी हितबद्धों को दिया जाना है, जबकि प्रार्थना पत्र में अंकित अन्य खसरा सं. 1029/1196 एवं खसरा सं. 970 अवाप्ति में नहीं है। इस पर प्रार्थीगण को आपत्ति है कि खसरा संख्या 1028 में स्थित बोरिंग का मुआवजा नहीं दिया गया, जबकि अप्रार्थी सं.1 का जवाब है कि उक्त खसरा संख्या 1028 में बोरिंग होने का तथ्य प्रार्थीगण द्वारा कभी भी अवाप्ति की कार्यवाही के दौरान प्रकट नहीं किया गया। ऐसे में बोरिंग का मुआवजा नहीं दिये जाने बाबत अब प्रथम बार यहां प्रकट की गई आपत्ति उचित प्रतीत नहीं होती है। उक्त तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है। खसरा सं.1029/1196 गे.मु.चाह कुये का नम्बर का मुआवजा नहीं दिये जाने बाबत प्रार्थना पत्र में आपत्ति की गई, जबकि उक्त खसरा सं. 1029/1196 अधिग्रहण ही नहीं हुआ है, जब भूमि अधिग्रहण में ही नहीं है तो उसका मुआवजा दिये जाने का कोई औचित्य ही नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा अवाप्ति से बाहर रही भूमि का मुआवजा दिलाये जाने का तथ्य नियमानुसार सही नहीं है। प्रार्थीगण की यह भी आपत्ति रही कि भूमि आबादी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, देवनारायण मंदिर के समीपस्थ होने के बावजूद उचित मुआवजा नहीं दिया गया। उल्लेखनीय है कि मुआवजा राशि उक्त अवाप्त की गई भूमि बाबत प्रचलित डी.एल.सी. दर जो कि आबादी एवं सडक इत्यादि की दूरी अनुसार निर्धारित की हुई है, के अनुसार गणना की जाकर निर्धारित की गई है जो उचित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि के मुआवजें हेतु आदेश पारित किये जाने में कोई दोष प्रकट नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 29.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर
(आरडीटेटर भूमि अवाप्ति)
बून्दी

जिला कलक्टर, बून्दी